

फा. सं. ए -35021/01/2024- एनटीएच

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली -110001

दिनांक 02.09.2024

विषय: राष्ट्रीय परीक्षणशाला (एनटीएच), उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (रु. 56100-177500/-) पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा वैज्ञानिक-बी (केमिकल) का 02 (दो) पद भरने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपभोक्ता मामले विभाग के अधीनस्थ संगठन राष्ट्रीय परीक्षणशाला में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (रुपये 56,100-1,77,500/-) में वैज्ञानिक-बी (केमिकल), सामान्य केंद्रीय सेवा, ग्रुप-क (राजपत्रित) गैर-अनुसचिवीय के 02 (दो) पद को प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) के आधार पर भरने का निर्णय लिया गया है:-

(i) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठन के तहत अधिकारी:

7. (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारण किए हुए हों; या

(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 8 (47,600 - 1,51,100 रुपये) या समकक्ष पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में दो वर्ष की सेवा के साथ: और

7. निम्नलिखित शैक्षणिक अहर्ताएं और अनुभव रखने वाले:

आवश्यक:

- i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान/सूक्ष्मजीव विज्ञान में स्नातकोत्तर: और
- ii. किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला या संस्थान में परीक्षण की यंत्रवत विधियों का उपयोग करते हुए भवन निर्माण सामग्री, धातु, अयस्क और खनिज, तेल और ईंधन, खाद्य पदार्थ, पानी, पेंट आदि सामग्रियों के रासायनिक विश्लेषण में एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।

अथवा

7. (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रासायनिक प्रौद्योगिकी/रासायनिक अभियांत्रिकी में अभियांत्रिकी स्नातक या प्रौद्योगिकी स्नातक: तथा
- (ii) किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला या संस्थान में परीक्षण की यंत्रवत विधियों का उपयोग करते हुए भवन निर्माण सामग्री, धातु अयस्क और खनिज, तेल और ईंधन, खाद्य पदार्थ, पानी, पेंट आदि सामग्रियों के रासायनिक विश्लेषण में दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।

वांछनीय: शैक्षिक योग्यता में शामिल क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्य का अनुभव।

II. फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

III. प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक अनुबंध सहित) जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या किसी अन्य संगठन या केंद्र सरकार के विभाग में धारित किसी अन्य बाह्य-काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि

(अल्पकालिक अनुबंध सहित) शामिल है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

IV. प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2016 से पहले या जिस तारीख से 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर वेतन मैट्रिक्स में संशोधित स्तर बढ़ाया गया है, उससे पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ाए गए वेतन मैट्रिक्स में संगत स्तर में की गई सेवा माना जाएगा, उस स्थिति के सिवाय जहां एक से अधिक पूर्व-संशोधित वेतनमान का वेतन मैट्रिक्स में एक समान स्तर के साथ एक ग्रेड में विलय हो गया हो और जहां यह लाभ केवल उस पद (पदों) के लिए विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में वह स्तर बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

नियुक्ति का स्थान: राष्ट्रीय परीक्षण शाला की क्षेत्रीय शाखाएँ।

2. अनुरोध किया जाता है कि जो अधिकारी इच्छुक हों तथा उपर्युक्त अहर्ताएं और अनुभव की पूर्ति करते हों और जिन्हें पद पर चयन के पश्चात तुरंत कार्यमुक्त किया जा सके, वे संलग्न प्रोफार्मा (अनुलग्नक-1) में आवेदन पत्र अवर सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, 12/2, जाम नगर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110011 को उचित माध्यम से हार्ड कॉपी में और ईमेल (aamir.edu@nic.in) के माध्यम से, ईप्लॉयमेंट न्यूज़/रोजगार समाचार में विज्ञापन जारी होने की तिथि से 60 (साठ दिन) के भीतर, हाल के 5 वर्षों की गोपनीय रिपोर्ट/एपीएआर (प्रत्येक पृष्ठ अवर सचिव के पद से नीचे के स्तर के अधिकारी द्वारा सत्यापित न हो), सतर्कता निकासी, विगत 10 वर्षों के दौरान कोई शास्ति नहीं, विवरण, सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र और संवर्ग निकासी (संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार) की सत्यापित प्रतियों के साथ भेज दें। उपर्युक्त दस्तावेजों की अनुपस्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अंतिम तारीख के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. चयन के पश्चात अभ्यर्थियों को किसी भी आधार पर अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

संलग्न: यथोक्त

भवदीय
जी. ०. आमीर
(मो. आमिर)

अवर सचिव, भारत सरकार

ईमेल: aamir.edu@nic.in

प्रतिलिपि:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को व्यापक प्रसार के अनुरोध सहित।
3. महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, सीपी ब्लॉक, सेक्टर-V, साल्टलेक, कोलकाता-700091 को इसे एनटीएच की वेबसाइट पर भी पोस्ट करने के अनुरोध सहित।
4. एनआईसी, उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को इस रिक्ति परिपत्र को व्यापक प्रसार हेतु <http://consumeraffairs.nic.in> वेबसाइट पर डालने के अनुरोध सहित।

जी. ०. आमीर
(मो. आमिर)

अवर सचिव, भारत सरकार

वायो-डाटा/जीवन वृत्त का प्रोफार्मा

1. नाम और पता (बड़े अक्षरों में)	
2. जन्मतिथि (ईस्वी सन में)	
3.i) सेवा में प्रवेश की तिथि	
ii) केन्द्रीय/राज्य सरकार के नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की तारीख	
4. शैक्षिक अर्हताएं	
5. क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं संतोषजनक हैं। (यदि किसी अर्हता को नियमों में निर्धारित किसी अर्हता के समतुल्य समझा गया हो तो, उसके लिए प्राधिकारी का उल्लेख करें।)	
विज्ञापन/ रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित की गई वांछित अर्हताएं/ अनुभव	अधिकारी द्वारा धारित किए गए अर्हताएं/ अनुभव
अनिवार्य	अनिवार्य
क) अर्हता	क) अर्हता
ख) अनुभव	ख) अनुभव
वांछित	वांछित
(क) अर्हता	क) अर्हता
(ख) अनुभव	ख) अनुभव
5.1 नोट: रोजगार समाचार में परिपत्र के जारी होने के समय प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा भर्ती नियमों में उल्लिखित वांछित और अनिवार्य अर्हताओं को दर्शाने के लिए इस कॉलम को विस्तृत किया जाना अपेक्षित है।	
5.2 स्नातक और स्नातकोत्तर अर्हताओं के मामले में, वैकल्पिक/अनिवार्य विषयों को अभ्यर्थी द्वारा उल्लिखित किया जाए।	
6. कृपया आपके द्वारा की गई उपर्युक्त प्रविष्टियों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से यह बताएं	

कि क्या आप पद की अनिवार्य अर्हताओं को पूरा करते हैं।	
6.1 नोट: आवेदित पद के संदर्भ में अभ्यर्थी द्वारा धारित संगत अनिवार्य अर्हता/कार्य अनुभव(बायोडाटा में यथा उल्लिखित) विभाग द्वारा अपनी विशिष्ट टिप्पणियां/मत की पुष्टि करते हुए प्रदान किया जाना अपेक्षित है।	

7. कालक्रम के अनुसार नियोजन के व्यौरे। यदि नीचे जगह कम हो तो अपने विधिवत हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित अलग कागज संलग्न करें।

कार्यालय/संस्था	नियमित आधार पर धारित पद	से	तक	*नियमित आधार पर धारित किए गए पद का वेतन बैंड/ग्रेड वेतन/वेतनमान	आवेदित पद के लिए आवश्यक अनुभव को रेखांकित करते हुए ड्यूटियों की प्रकृति (बिस्तृत)

*महत्वपूर्ण: ए.सी.पी. और एम.ए.सी.पी. के तहत अधिकारी को स्वीकृत किए गए पे-बैंड और ग्रेड वेतन वैयक्तिक होते हैं और इसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। केवल नियमित आधार पर धारित किए गए पद के पे-बैंड और ग्रेड वेतन का उल्लेख किया जाना चाहिए। जहां अभ्यर्थी द्वारा ऐसे वर्तमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में एसीपी/एमएसीपी का हितलाभ प्राप्त किया गया हो वहां ऐसे हितलाभ के व्यौरे का उल्लेख निम्नानुसार किया जाए:

कार्यालय/संस्था	एसीपी/एमएसीपी स्कीम के तहत आहरित वेतन, बैंड और ग्रेड वेतन	से	तक

8. वर्तमान नियोजन की प्रकृति अर्थात् तदर्थ अथवा अर्द्ध-स्थायी अथवा स्थायी			
9. यदि वर्तमान नियोजन प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर है तो कृपया बताएं:-			
क) प्रारंभिक	ख) प्रतिनियुक्ति	ग) मूल कार्यालय/	घ) वर्तमान संगठन

नियुक्ति की तिथि	संविदा पर नियुक्ति की अवधि	संगठन का नाम जिससे आप संबंधित हैं।	में कल्पित क्षमता में धारित पद का नाम तथा पद के लिए वेतन
9.1 नोट: अधिकारी के पहले से प्रतिनियुक्ति पर होने के मामले में, ऐसे अधिकारियों के आवेदनों को मूल संवर्ग/विभाग द्वारा संवर्ग निकासी, सतर्कता निकासी और सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र के साथ अग्रेषित किया जाना चाहिए। 9.2 नोट: उपरोक्त कॉलम 9(ग) और (घ) के तहत मांगी गई सूचनाएं उन सभी मामलों में दी जानी चाहिए जहाँ किसी व्यक्ति ने संवर्ग संगठन से बाहर प्रतिनियुक्ति पर पद धारण किया है लेकिन वह अभी अपने मूल संवर्ग/ संगठन में धरणाधिकार बनाए हुए हैं।			

10. यदि आवेदक द्वारा विगत समय में प्रतिनियुक्ति पर कोई पदधारण किया गया हो तो विगत प्रतिनियुक्ति से वापस आने की तिथि और अन्य ब्यौरे।	
11. वर्तमान नियोजन के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे: कृपया यह बताएं कि क्या निम्नलिखित के अधीन कार्यरत हैं: (संगत कॉलम के सामने अपने नियोक्ता का नाम दर्शाएं) क) केन्द्र सरकार ख) राज्य सरकार	

ग) स्वायत्त संगठन घ) सरकारी उपक्रम ङ) विश्वविद्यालय च) अन्य		
12. कृपया यह बताएं कि क्या आप उसी विभाग में कार्यरत हैं और फीडर ग्रेड या फीडर ग्रेड के फीडर में हैं।		
13. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं? यदि हां तो उस तिथि का उल्लेख करें जब, संशोधन किया गया और संशोधन-पूर्व वेतनमान को भी बताएं।		
14. वर्तमान में प्रतिमाह आहरित की जा रही कुल परिलब्धियां		
वेतन बैंड में मूल वेतन	ग्रेड वेतन	कुल परिलब्धियां
15. यदि आवेदक ऐसे संगठन से संबंधित है जो केन्द्र सरकार की वेतनमान का अनुसरण नहीं कर रहा है, तो निम्नलिखित विवरण दक्षति हुए संगठन द्वारा जारी आखिरी वेतन पर्ची (सैलरी स्लिप)।		
वेतनमान सहित मूल वेतन और वृद्धि दर सहित	महंगाई/अंतरिम राहत/अन्य भत्ते आदि (अलग-अलग व्यौरे सहित)	कुल परिलब्धियां

16. (क) अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, जो आपके द्वारा आवेदित पद के लिए आपकी उपयुक्तता के समर्थन में संगत हो (इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के संबंध में सूचनाएं दी जाएं): (i) अतिरिक्त शैक्षिक अर्हताएं (ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण; और (iii) विज्ञापन/रिक्ति परिपत्र में निर्धारित कार्य अनुभव के अतिरिक्त अनुभव। (टिप्पणी: यदि जगह अपर्याप्त हो तो पृथक कागज संलग्न करें)।	
16. (ख) उपलब्धियां: अभ्यर्थी निम्नलिखित से संबंधित सूचना प्रदान करें- (i) अनुसंधान प्रकाशन और रिपोर्ट तथा विशेष परियोजना; (ii) पुरस्कार/छात्रवृत्ति/शासकीय प्रशस्ति; (iii) व्यावसायिक निकायों/संस्थाओं/समितियों से सम्बद्धता; (iv) स्वयं के नाम में पंजीकृत पेटेंट अथवा संगठन के लिए प्राप्त किए गए पेटेंट (v) शासकीय पहचान सहित कोई अनुसंधान/नवोन्मेषी उपाय (vi) कोई अन्य सूचना (टिप्पणी: यदि जगह अपर्याप्त हो तो पृथक कागज संलग्न करें)।	
17. कृपया यह बताएं कि क्या आप प्रतिनियुक्ति	

(आईएसटीसी)/ समामेलन(एबजार्वशन)/पुर्ननियोजन आधार पर आवेदन कर रहे हैं। (केवल केन्द्र/राज्य सरकारों के अधीन अधिकारी ही 'एबजार्वशन' के लिए पात्र हैं। गैर सरकारी संगठनों के अभ्यर्थी केवल अल्पकालिक संविदा के लिए पात्र हैं।)	
# 'एसटीसी' / 'एबजार्वशन' / 'पुर्ननियोजन' का विकल्प उसी स्थिति में उपलब्ध है जब रिक्ति परिपत्र में विशेष रूप से "एसटीसी" अथवा 'एबजार्वशन' अथवा 'पुर्ननियोजन' द्वारा भर्ती का उल्लेख किया गया हो।	
18. क्या आप अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं।	

मैंने रिक्ति पत्र/विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और मैं इस बात से भलीभांति परिचित हूँ कि चयन समिति द्वारा पद पर चयन के समय मेरे द्वारा प्रस्तुत अनिवार्य अर्हता/ कार्य अनुभव के संबंध में दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित दायोडेटा में उपलब्ध कराई गई सूचनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। मेरे द्वारा दी गई सूचना/विवरण सही हैं और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य हैं और किसी महत्वपूर्ण विवरण जो मेरे चयन से संबंधित है, को दबाया या छिपाया नहीं गया है।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

पता _____

दिनांक _____

आदाता/मूल विभाग/ कार्यालय द्वारा नोट किए जाने वाले बिन्दु जिन्हें मंत्रालय/ विभाग के अनुपालनार्थ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के परिपत्र में स्पष्ट किया जाएगा -

1. आमतौर पर यदि किसी अधिकारी पर छोटी शास्ति लगाई गई है तो दंड लगाए जाने के बाद से तीन वर्ष की अवधि के लिए सतर्कता निकासी प्रदान नहीं की जाएगी। आमतौर पर किसी बड़ी शास्ति के अधिरोपित किए जाने के मामले में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.12.2007 के का.ज्ञा सं. 11012/11/2007 स्थापना (ए) के अनुसार, दंड अधिरोपित किए जाने के बाद से 5 वर्ष की अवधि के लिए सतर्कता निकासी प्रदान नहीं की जाएगी।
2. जो अधिकारी शीघ्र ही अपनी कूलिंग ऑफ अवधि पूरा करने वाले हैं; उनके संबंध में आवेदनों को अग्रेषित करते समय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04.01.2013 के का.ज्ञा. सं. 2/1/2012 स्था. (पे II) में निहित अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाए।
3. आदाता विभाग द्वारा विज्ञापन सहित एक प्रति वर्ड डाक्यूमेंट के रूप में डाउनलोड किए जा सकने वाले आवेदन पत्र में उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाए।
4. यदि रोजगार समाचार में नामांकन/प्रकाशन को आमंत्रित करने की सूचना जारी करते समय रिक्ति पहले से मौजूद है तो संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग में नामांकन की प्राप्ति के लिए विनिर्धारित अंतिम तिथि से पात्रता निर्धारित की जा सकती है। प्रत्याशित रिक्ति के मामले में पात्रता निर्धारण की निर्णायक तिथि वह तिथि होनी चाहिए जिस तिथि को रिक्ति होने की संभावना है।
5. रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन में इसका उल्लेख मुख्य रूप से किया जाएगा कि अभ्यार्थियों के द्वारा दावाकृत अर्हता और अनुभव के समर्थन में समर्थनकारी प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों से रहित आवेदन/ सीवी को चयन के लिए अभ्यार्थियों की पात्रता निर्धारित करने के संबंध में कार्रवाई नहीं की जाएगी।

6. आवेदकों की पात्रता को निर्धारित करने की निर्णायक तिथि की गणना रोजगार समाचार में रिक्ति/पद के प्रकाशन की प्रथम तिथि को छोड़कर की जाएगी अर्थात् 18 से 24 जनवरी 2014 के रोजगार समाचार में प्रकाशित रिक्ति के लिए निर्णायक तिथि की गणना 19 जनवरी 2014 (प्रकाशन की प्रथम तिथि को छोड़कर) से की जाएगी।

7. केन्द्रीय सरकार के वेतनमान का अनुसरण नहीं करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों में कार्यरत आवेदकों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए उनके वेतन/पद के समतुल्य वेतनमान के संबंध में आदाता विभाग द्वारा प्रतिपुष्टि की जा सकती है। जहां भी आवश्यक हो, इस संबंध में व्यौरों से संबंधित अभिनिश्चय प्रदाता विभाग से किया जा सकता है।

नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा अधिप्रमाणन

आवेदक द्वारा उपर्युक्त आवेदन में दी गई सूचनाएं/ब्यौरे अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सत्य और सही हैं। वह रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखता/रखती है। यदि चयन होता है तो उसे तत्काल कार्य-भार मुक्त किया जाएगा।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि;

- (i) श्री/श्रीमती..... के विरुद्ध कोई सतर्कता अथवा अनुशासनात्मक मामला न ही संबन्धित है और न ही विचाराधीन है।
- (ii) उनकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे है।
- (iii) इनके सीआर डोसियर की मूल प्रति संलग्न है। विगत 5 वर्ष के एसीआर की प्रतिलिपियां अवसर सचिव, भारत सरकार के रैंक के अधिकारी या उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित एवं संलग्न हैं।
- (iv) पिछले 10 वर्ष के दौरान इन पर कोई छोटी/बड़ी शास्ति अधिरोपित नहीं की गई है अथवा विगत 10 वर्ष के दौरान इन पर अधिरोपित की गई छोटी/बड़ी शास्तियों की सूची संलग्न है (जैसा भी मामला हो)।

(प्रतिहस्ताक्षरित)

(मोहर सहित साथ नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रक अधिकारी)

F. No. A-35021/01/2024-NTH

भारत सरकार

Government of India

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

उपभोक्ता मामले विभाग
Department of Consumer Affairs

कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001

Krishi Bhawan, New Delhi - 110001

दिनांक

Date 02.09.2024

Subject: Filling up of 02 (Two) posts of Scientist-B (Chemical) in National Test House, (NTH) Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution in Level-10 (Rs. 56100-177500/-) of the pay matrix by deputation (including short term contract)-reg.

The undersigned is directed to say that it has been decided to fill up **02 posts** of Scientist-B (Chemical), General Central Service, Group-A (Gazetted) Non Ministerial in level-10 (RS. 56100-177500/-) of the pay matrix in the National Test House, a subordinate organization of Department of Consumer Affairs, by deputation (including short term contract) basis from the:-

(I) Officer under the Central Government or State Government or Union Territories administrations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognized Research Institutions or semi Government or Autonomous bodies or Statutory Organizations:

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 8 (Rupees 47,600-1,51,100) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department : and

(b) possessing the following educational qualifications and experience:

Essential:

(i) Master's Degree in Chemistry/Microbiology from a recognized University or Institute; and

(ii) One year's practical experience in chemical analysis of materials such as building materials, metals, ores and minerals, oil and fuels, food, water, paints etc. in a recognized laboratory or institute using instrumental methods of testing.

Or

(c) (i) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Chemical Technology/Chemical Engineering from a recognized University or Institute; and

(ii) Two years' practical experience in chemical analysis of materials such as building materials, metals ores and minerals, oil and fuels, food, water, paints etc. in recognized laboratory or institute using instrumental methods of testing.

Desirable: Experience of Research and Development work in the areas covered in educational qualification.

II. The departmental officer in feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

III. The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding **fifty six** years as on the closing date of the receipt of the applications.

IV. For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised level in the pay matrix based on the recommendation of 07th CPC has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the said pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale pay into one grade with a common level in the pay matrix and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.

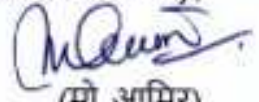
Place of posting: Regional Branches of National Test House.

2. Applications in the enclosed Proforma (Appendix-1) from willing officers who fulfil the above mentioned criteria of qualifications and experience and whose services can be spared immediately on his/her selection to the post, may be forwarded through proper channel to the **Under Secretary, Department of Consumer Affairs, 12/2, Jam Nagar House, Shahjahan Road, New Delhi-110011, in hard copy and also through email (aamir.edu@nic.in), within 60 (Sixty Days) from the date of issue of advertisement in the Employment News/Rozgar Samachar**, along with attested copies of last 5 years' Confidential Reports /APARs (each page attested by an officer not below the rank of Under Secretary), Vigilance Clearance, No Penalty Statement during last 10 years, Integrity Certificate and Cadre Clearance (as per Proforma enclosed). Incomplete applications or applications without above mentioned documents will not be entertained. Applications received after the closing date will not be entertained/considered.

3. The candidates, in the event of their selection, will not be allowed to withdraw their candidature subsequently on any ground.

Encls: as above.

भवदीय/भवदीया,
Yours faithfully,



(मो. आमिर)
(Md. Aamir)

अवर सचिव, भारत सरकार

Under Secretary to the Govt. of India
email. aamir.edu@nic.in

Copy to:-

1. All Ministries/Departments of the Government of India.
2. The Chief Secretaries of all State Governments/Union Territories with request to give wide circulation.
3. Director General, National Test House, CP, Block, Sector-V, Salt-lake, Kolkata-700091 with the request to post on the NTH website also.
4. NIC, Department of Consumer Affairs, Krishi Bhawan, New Delhi with the request to place this vacancy circular on the website of this Department for wide circulation.



(Md. Aamir)

Under Secretary to the Govt. of India

BIO-DATA/ CURRICULUM VITAE

1.	Name and Address (in Block Letters)	
2.	Date of Birth (in Christian era)	
3.	Date of entry into service	
(i).		
(ii)	Date of retirement under Central/State Government Rules	
4.	Educational Qualifications	
5.	Whether Educational and other qualifications required for the post are satisfied. (If any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the Rules, state the authority for the same.)	
Qualifications/Experience required as mentioned in the advertisement/vacancy circular		Qualifications/experience possessed by the officer
Essential		Essential
A) Qualification		A) Qualification
B) Experience		B) Experience
Desirable		Desirable
A) Qualification		A) Qualification
B) Experience		B) Experience
5.1 Note: This column needs to be amplified to indicate Essential and Desirable Qualifications as mentioned in the RRs by the Administrative Ministry/Department/Office at the time of issue of Circular and issue of Advertisement in the Employment News.		
5.2 In the case of Degree and Post Graduate Qualifications Elective/main subjects and subsidiary subjects may be indicated by the candidate.		
6. Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requisite Essential Qualifications and work experience of the post.		
6.1 Note: Borrowing Departments are to provide their specific comments/ views confirming the relevant Essential Qualification/Work experience possessed by the Candidate (as indicated in the Bio-data) with reference to the post applied.		

7. Details of Employment, in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient.

Office/Institution	Post held on regular basis	From	To	*Pay Band and Grade Pay/Pay Scale of the post held on regular basis.	Nature of Duties (in detail) highlighting experience required for the post applied for

*Important: Pay Band and Grade Pay granted under ACP/MACP are personal to the officer and therefore, should not be mentioned. Only Pay Band and Grade pay/Pay scale of the post held on regular basis to be mentioned. Details of ACP/MACP with present Pay Band and Grade Pay where such benefits have been drawn by the Candidate, may be indicated as below:

Office/Institution	Pay, Pay Band, and Grade Pay drawn under ACP/MACP Scheme	From	To

8. Nature of present employment i.e. Ad-hoc or Temporary or Quasi-Permanent or Permanent.			
9. In case the present employment is held on deputation/contract basis, please state-			
a) The date of initial appointment	b) Period of appointment on deputation/ contract	c) Name of the parent office/organization to which the applicant belongs.	d) Name of the post and pay of the post held in substantive capacity in the parent organisation.
9.1 Note: In case of Officers already on deputation, the applications of such officers should be forwarded by the parent cadre/Department along with Cadre Clearance, Vigilance Clearance and Integrity certificate. 9.2 Note: Information under Column 9 (c) & (d) above must be given in all cases where a person is holding a post on deputation outside the cadre/organization but still maintaining a lien in his parent cadre/organization.			
10. If any post held on Deputation in the past by the applicant, date of return from the last deputation and other details.			
11. Additional details about present employment: Please state whether working under (indicate the name of your employer against the relevant column) a) Central Government b) State Government c) Autonomous Organization d) Government undertaking e) Universities f) Others			
12. Please state whether you are working in the same Department and are in the feeder grade or feeder to feeder grade.			
13. Are you in Revised Scale of Pay? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale.			
14. Total emoluments per month now drawn			
Basis Pay in the PB	Grade Pay	Total emoluments	

15. In case the applicant belongs to an Organisation which is not following the Central Government Pay-scales, the latest salary slip issued by the Organisation showing the following details may be enclosed.		
Basis pay with Scale of Pay and rate of increment	Dearness Pay/ interim relief/ other Allowances etc., (with break-up details)	Total emoluments
16.A Additional information, if any, relevant to the post you applied for in support of your suitability for the post. (This among other things may provide information with regard to (i) additional academic qualifications (ii) Professional training and (iii) work experience over and above prescribed in the Vacancy Circular/Advertisement) (Note: Enclose a separate sheet, if the space is insufficient)		
16.B Achievements: The candidates are requested to indicate information with regard to: (i) Research publications and reports and special projects. (ii) Awards/Scholarships/Official Appreciation. (iii) Affiliation with the professional bodies/institutions /societies and; (iv) Patents registered in own name or achieved official recognition (v) Any research/innovative measure involving official recognition (vi) any other information. (Note: Enclose a separate sheet, if the space is insufficient)		
17. Please state whether you are applying for deputation (STC)/Absorption /Re-employment Basis. # (Officers under Central/State Governments are only eligible for "Absorption". Candidates of non-Government organizations are eligible only for Short Term Contract.)		
# (The option of 'STC'/Absorption/ 'Re-employment' are available only if the vacancy circular specially mentioned recruitment by "STC" or "Absorption" or "Re-employment").		
18. Whether belongs to SC/ST		

I have carefully gone through the vacancy circular/advertisement and I am well aware that the information furnished in the Curriculum Vitae duly supported by the documents in respect of Essential Qualification/Work Experience submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for the post. The information/details provided by me are correct and true to the best of my knowledge and no material fact having a bearing on my selection has been suppressed/withheld.

(Signature of the candidate)

Address-----

Date-----

Certification by the Employer/Cadre Controlling Authority

The information/ details provided in the above application by the applicant are true and correct as per the facts available on records. He/she possesses educational qualifications and experience mentioned in the vacancy Circular. if selected, he/she will be relieved immediately.

2. Also certified that;

- i) There is no vigilance or disciplinary case pending/contemplated against Shri/Smt.-----

- ii) His/ Her integrity is certified.
- iii) His/ Her CR Dossier in original is enclosed/photocopies of the ACRs for the last 5 years duly attested by an officer of the rank of Under Secretary of the Govt. of India or above are enclosed.
- iv) No major/minor penalty has been imposed on him/her during the last 10 years Or A list of major/minor penalties imposed on him/her during the last 10 years is enclosed (as the case may be)

Countersigned

(Employer/Cadre controlling Authority with Seal)

Points to be noted by the Borrowing/ Parent Department/ Office to be highlighted in DOP&T circular for compliance by the Ministries/ Departments]

1. Vigilance Clearance will not normally be granted for a period of 3 years after the currency of punishment, if a minor penalty has been imposed on an officer. In case of imposition of a major penalty, Vigilance Clearance will not normally be granted for a period of 5 years after the currency of punishment in terms of DOP&T O.M. No.11012/11/2007-Estt.(A) dated 14.12.2007.
2. While forwarding applications in respect of officers who are about to complete their 'cooling-off' period shortly the instructions of DOP&T as contained in O.M. No.2/1/2012-Estt.(Pay.II) dated 04.01.2013 may be strictly adhered to.
3. A copy of the Application format may be provided by the Borrowing Department in their website in a downloadable form as *Word Document* along with the advertisement.
4. In the case of a vacancy already existing at the time of issue of communication inviting nominations/ publication in the Employment News, the eligibility may be determined with reference to the last date prescribed for receipt of nominations in the concerned administrative Ministry/Department. In the case of an anticipated vacancy, the crucial date for determining eligibility should be the date on which the vacancy is expected to arise.
5. It shall be prominently mentioned in the vacancy circular/ advertisement that the applications/CV not accompanied by supporting certificates/ documents in support of Qualification and Experience claimed by the candidates would not be processed for determining the eligibility of the candidates for the selection.
6. Crucial date for determining the eligibility of the applicants will be counted after excluding the first date of publication of the vacancy/ post in the Employment News. i.e., For the vacancy published in the Employment News of 18-24 Jan. 2014, the crucial date will be counted from the 19th Jan. 2014 (excluding the first date of publication).
7. To facilitate determination of eligibility of the applicants working in Public Sector Undertakings/ Autonomous organizations not following the Central Government Scales, their equivalent scales of pay/posts may be confirmed by the borrowing Department. Where necessary, details in this regard may also be ascertained from the lending Department.